1. **गृह रक्षा विभाग,राजस्थन का संगठन, कर्त्तव्य एवं कार्यः–**

महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, राजस्थान गृह रक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष हैं तथा विभाग के सभी प्रशासनिक व वित्तीय निर्णय महानिदेशक एव महासमादेष्टा के अधीनहैं।

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पद
1.	महानिदेशक, गृह रक्षा	1
2.	अति.महानिदेशक, गृह रक्षा	1
3.	महानिरीक्षक पुलिस, गृह रक्षा	1
4.	उप महासमादेष्टा	3
5.	वित्तीय सलाहकार	1
6.	चिकित्सा अधिकारी	1
7.	समादेष्टा/एस.एस.ओ.	13
8.	उप समादेष्टा	35
9.	लेखाधिकारी	1
10.	सहायक लेखाधिकारी	1
11	कम्पनी कमाण्डर	54
12.	वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक	1
13.	निरीक्षक (आर्मोरर)	1
14.	निरीक्षक (एम.टी.)	1
15.	निजीसचिव	1
16.	निजी सहायक	2
17.	प्रशासनिक अधिकारी	1
18.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	7
19.	लेखाकार (सहा0लेखाधिकारी–II)	19
20.	कनिष्ठ लेखाकार	4
21.	प्लाटून कमाण्डर	164
22.	प्लाटून कमाण्डर (आर्मोरर)	4
23.	प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.)	5
24.	मेलनर्सग्रेड–II	1
25.	नगरिक सुरक्षा प्रशिक्षक	1
26.	स्टेनोग्राफर	1
27.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	23
28.	वरिष्ठ सहायक	47
29.	कनिष्ठ सहायक	71
30.	मुख्य आरक्षी	133
31.	मुख्य आरक्षी (आर्मोरर)	6
32.	मुख्य आरक्षी (एम.टी.)	3
33	वाहनचालक/आरक्षी वाहन चालक	47
34.	कारपेन्टर	1
35.	आरक्षी	229
36.	आरक्षी बिगुलर	2
37.	आरक्षी ड्रमगैन	2
38.	मशीनमैन	1

39.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	27
40.	चौकीदार	38
41.	कुक	9
42.	वार्डब्वाय	1
43.	सफाई कर्मचारी	34
44.	सूचना सहायक	2
45	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1
	योग–	**1002**

गृह रक्षा विभाग के कर्त्तव्य और कार्यः–

1. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना।
2. आपातकालीन स्थिति (हवाई हमला,आगजनी,बाढ,महामारी आदि) में सरकार एवं नागरिकों की सहायता करना।
3. असामान्य स्थिति में परिवहन, संचार, बिजली, जल तथा परमावश्यक सेवाओं को बनाये रखना।
4. सरकार की समाज कल्याण योजना में मदद करना।
5. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार या महानिदेशक गृह रक्षा द्वारा समय–समय पर कार्य सौंपे जायें।

2. विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्यः–

गृह रक्षा विभाग का शीर्षनिकाय निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान है जो जयपुर में स्थित है। तथा यह महानिदेशक एवं महासमादेष्टा के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करता है। गृह रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी एवं कार्य निम्नानुसार है।

(i) **महानिदेशक एवं महासमादेष्टा**

1. यह गृह रक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष हैं।
2. गृह रक्षा विभाग का समग्र पर्यवेक्षण।
3. विभाग से सम्बन्धित सभी प्रकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों व विभागीय पॉलिसी सम्बन्धी अंतिम निर्णय ।
4. गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नियोजन, प्रशासन एवं वेलफेयर।
5. राज्य में कार्यरत निजी सुरक्षा अभिकरणों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।

(ii) **अतिरिक्त महानिदेशक**

1. अधिनस्थ ईकाइ का समग्र प्रशासन एवं पर्यवेक्षण।
2. समस्त गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन प्रशिक्षण प्रशासन एवं पर्यवेक्षण।
3. बजट का प्रावधान एवं नियंत्रण।
4. स्टोर आर्म्स, एम्युनेशन इक्युपमेन्ट व क्लोदिंग के क्रय/नकारा एवं नीलामी/भौतिक सत्यापन सम्बन्धी समस्त निर्णय।
5. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा का विभाग के प्रशासन एवं पर्यवेक्षण में सहयोग।

(iii) **वित्तीय सलाहकार**

1. विभाग में वित्तीय विभाग के प्रतिनिधी।
2. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा के वित्तीय सलाहकार।
3. मुख्य लेखा प्राधिकारी, विभागीय लेखा शाखा के प्रमुख।
4. मुख्य आंतरिक जांच अधिकारी के रूप में विभागीय आंतरिक जांच दल के प्रोग्राम का अनुमोदन।
5. लेखा शाखा का सामान्य प्रशासन।

(iv) **उप महासमादेष्टा**

1. निदेशालय गृह रक्षा के कार्यालयध्यक्ष व आहरण वितरण अधिकारी।
2. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा व अतिरिक्त महानिदेशक का विभाग के प्रशासन व पर्यवेक्षण में सहयोग करना।
3. विभागीय प्रकरणों में महानिदेशक एवं महासमादेष्टा के सलाहकार
4. निदेशालय स्तर पर सभी शाखाओं (संस्थापन, प्रशिक्षण एवं डिप्लायमेंट, स्टोर, जी–शाखा, एम–शाखा इत्यादी)
5. अधिनस्थ स्टाफ के वेतन/भत्तो एवं अवकाश सम्बन्धी निर्णय।

(v) **निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान**

1. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालयध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी।
2. सीटीआई का सामान्य प्रशासन व पर्यवेक्षण।

(vi) **सीनियर स्टाफ आफिसर (कमाण्डेन्ट पद)**

1. निदेशालय स्तर पर सम्बन्धित शाखा के सामान्य प्रशासन, पर्यवेक्षण व दैनिक कार्यो में वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोगी व सलाहकार।
2. शाखा से सम्बन्धित पत्रावलियों का निरीक्षण कर नियमानुसार प्रकरण के निर्णय को सुगम बनाना।
3. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये कार्यो का संपादन/निस्तारण।

(vii) **जूनियर स्टाफ आफिसर(गृह रक्षा)/जूनियर स्टाफ आफिसर(लीव रिजर्व)/उप समादेष्टा(स्टोर)**

1. शाखा से सम्बन्धित सभी कार्यो का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करना।
2. शाखा से सम्बन्धित सभी प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोगी व सलाहकार।
3. वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधी के रूप में शाखा का पर्यवेक्षण।

(viii) गण समादेष्टा/समादेष्टा/उप समादेष्टा

1. गण/जिला स्तर पर सीमा गृह रक्षा दल गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यालयध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारी एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी(SPIO)
2. गण/जिला स्तर की ईकाई के सामान्य प्रशासन एवं पर्यवेक्षण।
3. राज्य सरकार व निदेशालय स्तर के सभी आदेशों की ईकाई स्तर पर पालना सुनिश्चित करना।

3. विनिश्चय करने की प्रकिया में अपनायी जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और जवाब देही की प्रणाली सम्मिलित है:–

महानिदेशक एवं महासमादेष्टा गृह रक्षा विभाग के प्रमुख हैं तथा विभागीय स्तर के समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय इनके अधीन हैं। सामान्यतया निदेशालय स्तर पर सभी शाखाओं व ईकाईयों के दैनिक कार्यो का निर्णय उस शाखा/ईकाई के अधिकारियों द्वारा महानिदेशक एवं महासमादेष्टा के अनुमोदन/सलाह के बाद लिये जाते हैं। विभागीय स्तर के सभी महत्वपूर्ण एवं पॉलिसी सम्बन्धी निर्णयों में महानिदेशक एवं महासमादेष्टा का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

4. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा स्थापित सन्नियम:–

समस्त विभागीय कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदण्डों में वित्तिय अनुशासन का अत्यधिक महत्त्व है। बजट, क्रय, भण्डारण वितरण आदि के बारे में राजस्थान सेवा नियमो एंव वित्तीय नियमों की अनुपालना में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

5. विभागीय नियम,विनियम,अनुदेश,नियमावलियॉ और अभिलेखः–

(i) राजस्थान गृह रक्षा नियम– 1962
(ii) राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम– 1963
(iii) सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम
(iv) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013
(v) राजस्थान सेवा नियम
(vi) यात्रा भत्ता नियम
(vii) बजट मैनुअल
(viii) राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996
(ix) राजस्थान गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा नियम– 1976
(x) राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम– 2021
(xi) राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम
(xii) निजी सुरक्षा अभिकरण विनियमन अधिनियम (PSARA)2005
(xiii) राजस्थान निजी सुरक्षा अभिकरण विनियमन नियम 2006
(xiv) राजस्थान प्राईवेट सिक्युरिटी ऐजेंसी (नकद परिवहन गतिविधियों के लिये निजी सुरक्षा) नियम 2019

6. गृह रक्षा विभाग के नियंत्रण के अधीन अभिलेखें के प्रवर्गों का विवरणः–

(i) स्थाई स्टाफ की भर्ती।
(ii) सरंस्थापन सम्बन्धी पॉलिसी।
(iii) स्थाई स्टाफ का पदस्थापन/स्थानान्तरण।
(iv) समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं मुख्यालय मे पदस्थापित अधीनस्थ स्टाफ के सेवाभिलेख का संधारण।
(v) उपस्थिति पंजिका।
(vi) आकस्मिक अवकाश का रजिस्टर।
(vii) उपर्जित अवकाश, रूपान्तरित अवकाश, व अन्य अवकाशों की पत्रावली।
(viii) रिसीप्ट,डिस्पेच रजिस्टर।
(ix) स्टाम्प रजिस्टर।
(x) डांक डायरी।
(xi) बिल रजिस्टर।
(xii) नकदीकरण रजिस्टर।
(xiii) चालान रजिस्टर व पत्रावली।
(xiv) सामान्य रोकड बही।
(xv) पी0डी0 खाता रोकड बही व पास बुक।
(xvi) स्वयं सेवकों का नामांकन सम्बन्धी रिकार्ड।
(xvii) पुनः नामांकन/स्वयं सेवकों का नवीनीकरण।

(xviii) स्वयं सेवकों से संबंधित शिकायतों का निवारण।

(xix) सी.टी.आई में स्वयं सेवकों/स्थाई स्टाफ से संबंधित कोर्सो का कियान्वयन

(xx) पुलिस के साथ कानून–व्यवस्था ड्यूटी, विभिन्न मेले पर्वो एवं चुनाव आदि ड्यूटियों में स्वयं सेवकों का नियोजन।

(xxi) स्टॉक रजिस्टर।

(xxii) बजट रजिस्टर।

(xxiii) टेण्डर रजिस्टर।

(xxiv) आर्म्स स्टॉक रजिस्टर।

(xxv) एम्युनेशन स्टॉक रजिस्टर।

(xxvi) विभागीय आंतरिक अंकेक्षण पत्रावली।

(xxvii) अंकेक्षण जांच वसूली रजिस्टर।

(xxviii) महालेखाकार अंकेक्षण पत्रावली।

(xxix) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का रजिस्टर

(xxx) महानिदेशक द्वारा जारी प्रशस्ति पत्र एवं प्रशस्ति डिस्क का रजिस्टर।

(xxxi) राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी पदकों का रजिस्टर।

(xxxii) विधानसभा प्रश्नों से प्राप्त प्रश्नों का रजिस्टर।

7. जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान विशिष्टियां

गृह रक्षा विभाग में ऐसी कोई विशिष्टी उपलब्ध नहीं है।

8. विभागीय बोर्डो,परिषदों,समितियों व अन्य निकायों का विवरण:

विभागीय स्तर पर निम्नानुसार समितियों का गठन विभागीय नियमों व विनियमन के अनुसार किया गया है तथा इनकी बैठक की कार्यवाही आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है।

(i)विभागीय कल्याण कोष समिति।

(ii) गृह रक्षा समस्या निवारण समिति।

9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका:

DIRECTORATE HOME GUARDS RAJASTHAN, JAIPUR		
DISTRICT	NAME	OFFICE
JAIPUR	UTAKAL RANJAN SAHOO, IPS	0141-2605525
JAIPUR	AMRIT KALASH, IPS	0141-2613755
JAIPUR	MOHAN LAL ACHARYA, FA	0141-2603407

JAIPUR	VIJAY SINGH BHAMBHU, DCG	0141-2614424
JAIPUR	NAVNEET JOSHI, SSO-I	0141-2614771
JAIPUR	VIKASH LAMBA, SSO-II	0141- 2612018
JAIPUR	SUMAN DHAKA	0141-2612592
JAIPUR	RAVINDRA SINGH	0141-2612593
Border Home Guards		
BARMER	SH. RAJENDRA KUMAR (ADDL. CHARGE)	02982 - 220606
JAISALMER	SH. VIRENDRA SINGH (ADDL. CHARGE)	02992 - 252345
BIKANER	SH. GAJENDRA SINGH (ADDL. CHARGE)	0151 - 2527926
GANGANAGAR	SH. MAHENDRA SINGH	0154 - 2452643
DIVISIONAL COMMANDER H.G.T.C. RAJASTHAN		
AJMER	SH. RAMJI LAL JAT (ADDL. CHARGE)	0145- 2627616
BHARATPUR	SH.RAM JI LAL (ADDL. CHARGE)	05644- 229562
BIKANER	SH. ARUN SINGH (ADDL. CHARGE)	0151- 2226151
JAIPUR	SH. ANWAR H. KHAN	0141- 2377797
JODHPUR	SH. GAJENDRA SINGH	0291- 2510212
KOTA	SH. BADORAO MEENA	0744- 2360066
UDAIPUR	SH. PRANAY JASRIYA	0294- 2940209

DY.COMMANDANT H.G.T.C. RAJASTHAN		
ALWAR	SH. PYARE LAL	0144- 2338579
BARMER	SH. RAJENDRA KUMAR	02982- 220209
BANSWARA	SH. CHANDRA BHAN BUNKAR (ADDL. CHARGE)	02962- 215010
BARAN	SH. SEEMA PAREEK	07453- 237037
BHILWARA	SH. LALIT BIHARI	01482- 230118
BUNDI	SH.RAM SINGH	0747- 2940289
CHURU	SH. HARI SINGH	01562- 254477
CHITTORGARH	SH. RAVI SINGH	01472- 245227
DAUSA	SMT SUMAN DHAKA	01427- 220990
DHOLPUR	SH.RAM JI LAL SAIN	05642- 222015
DUNGARPUR	SH. RAVI SINGH (ADDL. CHARGE)	02964- 230020
GANGANAGAR	SH. MAHENDRA SINGH (ADDL. CHARGE)	0154-2441724
HANUMANGARH	SH. ARUN	01552- 261010
JALORE	SH. VIRENDRA SINGH (ADDL. CHARGE)	02973- 226644
JAISALMER	SH. PRADEEP SETI	02992- 254621
JHALAWAR	SH. SEEMA PAREEK (ADDL. CHARGE)	07432- 294319
JHUNJHUNU	SH. PYARE LAL (ADDL. CHARGE)	01592- 232366
KAROLI	SH. ANAND KUMAR (ADDL. CHARGE)	--------
NAGORE	SH. RAVINDRA SINGH	01582- 240402

	(ADDL. CHARGE)	
PALI	SH. RAVI VYAS	02932- 222722
PRATAPGARH	SH. CHANDRA BHAN BUNKAR	--------
RAJSAMAND	SH. PRAYAN JASORIYA (ADDL. CHARGE)	02952- 220215
S. MADHOPUR	SH. ANAND KUMAR MEENA	07462- 220164
SIKAR	SH. RAJESH YADAV	01572- 240060
SIROHI	SH. VIRENDRA SINGH	02972- 294251
TONK	SH. RAM SINGH(ADDL. CHARGE)	01432- 243969

10.गृह रक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिकः

क्र. सं.	पद नाम	लेवल	लेवल में मिलने वाला न्यूनतम वेतन
1.	महानिदेशक एवं महासमादेष्टा,गृह रक्षा	L-16 (Goverment of India)	224400
2.	अति महानिदेशक,गृह रक्षा	L-15 (Goverment of India)	182200
3.	महानिरीक्षक पुलिस,गृह रक्षा	L-14 (Goverment of India)	144200
4.	वित्तीय सलाहकार	L-21 (Goverment of Rajasthan)	88900
5.	उप महासमादेष्टा	L-19	79900
6.	चिकित्सा अधिकारी	L-14	56100
7.	समादेष्टा / एस.एस.ओ.	L-16	67300
8.	उप समादेष्टा	L-14	56100
9.	लेखाधिकारी	L-14	56100
10.	सहायक लेखाधिकारी–I	L-12	44300
11.	कम्पनी कमाण्डर	L-12	44300
12.	वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक	L-12	44300
13.	निरीक्षक (आर्मोरर)	L-12	44300
14.	निरीक्षक (एम.टी.)	L-12	44300
15.	निजी सचिव	L-15	60700
16.	निजी सहायक	L-11	37800
17.	प्रशासनिक अधिकारी	L-12	44300

18.	अति. प्रशासनिक अधिकारी	L-11	37800
19.	लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी–II)	L-11	37800
20.	कनिष्ठ लेखाकार	L-10	33800
21.	प्लाटून कमाण्डर	L-10	33800
22.	प्लाटून कमाण्डर (आर्मोरर)	L-10	33800
23.	प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.)	L-10	33800
24.	मेल नर्स ग्रेड– II	L-11	37800
25.	नगरिक सुरक्षा प्रशिक्षक	L-10	33800
26.	स्टेनोग्राफर	L-10	33800
27.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	L-10	33800
28.	वरिष्ठ सहायक	L-8	26300
29.	कनिष्ठ सहायक	L-5	20800
30.	मुख्य आरक्षी	L-5	20800
31.	मुख्य आरक्षी (आर्मोरर)	L-5	20800
32.	मुख्य आरक्षी (एम.टी.)	L-5	20800
33.	वहन चालक/आरक्षी वाहन चालक	L-3	18200
34.	कारपेन्टर	L-5	20800
35.	आरक्षी	L-3	18200
36.	आरक्षी बिगुलर	L-3	18200
37.	आरक्षी ड्रममैन	L-3	18200
38.	मशीनमैन	L-2	17900
39.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1	17700
40.	चौकीदार	L-1	17700
41.	कुक	L-3	18200
42.	वार्ड ब्वॉय	L-1	17700
43.	सफाई कर्मचारी	L-1	17700
44.	सूचना सहायक	L-8	26300
45.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	L-10	33800

11. **सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों की और किये गये संवितरणें की रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपनी प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित बजटः–**

गृह रक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

12. **सहायकी कार्यकमों के निष्पादन की रीति,जिसमें आवंटित रकम और ऐसे कार्यकमों के हिता अधिकारियों का ब्यौरा सम्मिलित हैः**

गृह रक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

13. **अपने द्वारा दी गयी रियायतों,परमिटों या प्राधिकारों के प्राप्त कर्ताओं की विशिष्टियांः**

महानिदेशक एवं महासमादेष्टा राज्य में निजी सुरक्षा अभिकरणों के नियंत्रक प्राधिकारी है। निजी सुरक्षा अभिकरणों को राज्य में कार्य करने हेतु नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा लाईसेंस जारी किया जाता है। लाईसेंस प्राप्तकर्ता की सूचना https://psara.gov.in पर उपलब्ध है।

14. **विभाग द्वारा धारित सूचना जो इलैक्ट्रोनिक रूप में रखी गयी हो,के बारे में ब्यौराः**

गृह रक्षा विभाग की बैबसाईटhttps://Home.Rajasthan.Gov.in/Home Guards पर उपलब्ध है।

15. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनमें पुस्तकालयों या अध्ययन कक्षों, यदि जनता के उपयोग के लिए रखे जाते हैं, का कार्य समय सम्मिलितहैः

शून्य

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम,पदनाम और अन्य विशिष्टियां:

निदेशालय स्तर पर

क. सं.	कार्यालय का नाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी का पद नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी का पद नाम	अपील अधिकारी का पद नाम
1	गृह रक्षा मुख्यालय राजस्थान जयपुर	उप महासमादेष्टा–I गृह रक्षा मुख्यालय राजस्थान जयपुर	जूनियर स्टाफ आफिसर, (संस्थापन शाखा) गृह रक्षा मुख्यालय राज. जयपुर	अतिरिक्त महानिदेशक,गृह रक्षा मुख्यालय राज.जयपुर
		समस्त अधिनस्थ कार्यालय		
1	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान,गृह रक्षा जयपुर	निदेशक	उप समादेष्टा	अतिरिक्त महानिदेशक,गृह रक्षा मुख्यालय राज.जयपुर
2	सीमा गृह रक्षा दल	गण समादेष्टा	उप समादेष्टा	अतिरिक्त महानिदेशक,गृह रक्षा मुख्यालय राज.जयपुर
3	समस्त गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र कार्यालयों में	समादेष्टा / उप समादेष्टा	कम्पनी कमाण्डर	अतिरिक्त महानिदेशक,गृह रक्षा मुख्यालय राज.जयपुर

17. ऐसी अन्य सूचना,जो विहित की जायेः

"शून्य"

(विजय सिंह भाम्भू)
उप महासमादेष्टा,
निदेशालय गृह रक्षा,
राजस्थान, जयपुर